



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13032020-218641
CG-DL-E-13032020-218641

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 945]
No. 945]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 13, 2020/फाल्गुन 23, 1941
NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 13, 2020/PHALGUNA 23, 1941

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मार्च, 2020

का.आ. 1051(अ).—पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में प्रयोक्ता के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (इसके बाद इसे उक्त अधिनियम कहा है), की धारा 2 के खंड (क) के अनुसरण में भारत सरकार एतद्वारा, कर्नाटक राज्य में मैसर्स गेल (इण्डिया) लिमिटेड की सभी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजनाओं के लिये पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में प्रयोक्ता के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 के तहत श्रीमती मदुरा के. देशपांडे, तहसीलदार, ग्रेड - 1, कर्नाटक सरकार को श्री एम. राजन्ना, तहसीलदार, ग्रेड - 2, कर्नाटक सरकार के स्थान पर, प्रतिनियुक्ति के आधार पर, सक्षम प्राधिकारी के कार्यों का निर्वहन करने के लिये प्राधिकृत करती है।

2. यह अधिसूचना जारी होने की तारीख से लागू होगी।

[फा. सं. एल-14014/112/2017-जीपी-II]

राज किशोर, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS
NOTIFICATION

New Delhi, the 12th March, 2020

S.O. 1051(E).—In pursuance of clause (a) of Section 2 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter called the said Act), the Government of India hereby authorizes Smt. Madura K. Deshpande, Tehsildar, Grade-1, Government of Karnataka vice Shri M. Rajanna, Tehsildar, Grade-2, Government of Karnataka to perform the functions of Competent Authority on deputation basis under the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 for all Natural Gas Pipeline Projects of M/s. GAIL (India) Limited in the State of Karnataka.

2. This notification will be effective from the date of its issue.

[F. No. L-14014/112/2017-GP-II]

RAJ KISHORE, Under Secy.